

MSTP/Dir-314

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue  
Central Board of Direct Taxes

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29<sup>th</sup> March, 2016

**S.O (E).** - In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission, a Commission constituted under the Andhra Pradesh Electricity Reform Act, 1998 (Government of Andhra Pradesh Act No.30 of 1998), in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-

- (a) Licence fee received under the Electricity Act, 2003;
- (b) Grants-in-Aid received from Government;
- (c) Interest earned on investment or deposit in nationalised bank or financial institutions.

2. This notification shall be subject to the conditions that the Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission:-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applicable for the financial year 2014-2015 and shall apply with respect to the financial years 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019.

[Notification No. 22 /2016 F.No.196/28/2014-ITA-I]



(DEEPSHIKHA SHARMA)  
Director, Government of India

To

The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri Press,  
New Delhi.

*Done*  
29/3/16

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक, 29 मार्च, 2016

का.आ. (अ). - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आन्ध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग आंध्र प्रदेश, विद्युत सुधार अधिनियम, 1998 (आंध्र प्रदेश सरकार अधिनियम, 1998 की संख्या 30) के अंतर्गत गठित आयोग को उक्त आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है अर्थात्:-

- (क) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्राप्त लाइसेंस शुल्क;
- (ख) विद्युत अधिनियम, के अंतर्गत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान;
- (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों में निवेश और सावधि जमा पर ब्याज;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग:-

- (क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा;
- (ख) विनिर्दिष्ट आय की गतिविधियां तथा प्रकृति वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी; और
- (ग) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 उपधारा (4ग) के खण्ड छ के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर की जाएगी।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए लागू मानी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 तथा 2018-2019 के संबंध में लागू की जाएगी।

[अधिसूचना संख्या.....३२...../2016 फा० सं० 196/28/2014-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा

(दीपशिखा शर्मा)  
निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,  
प्रबंधक  
भारत सरकार, मुद्रणालय,  
मायापुरी, नई दिल्ली।